फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

गुरमीत बनाम स्टेट

किस्म मुकदमा : **136 LRA** प्रकरण संख्या 212/**2026**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख
10.06.2026	प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थीया द्वारा निवेदन किया गया की रोही मौजा चक 10 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 110/65 की कुल 3.5420 हैक्ट भूमि में से प्रार्थीगण क्रमश गुरमीतसिंह व रेशमसिंह पि0 सरदुलसिंह के नाम दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण की जाति जाट दर्ज है जो की गलत है प्रार्थीगण की जाति जटसिसख है राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीगण की जाति गलत दर्ज होने से प्रार्थीगण के हकों का हनन हो रहा है इसलिए प्रार्थीगण की जाति जाट के स्थान पर जटसिख दर्ज करने के आदेश फरमावे। तहसीलदार नोहर, भू0अभि0 निरीक्षक एवं पटवारी की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि में प्रार्थीगण की जाति जाट के स्थान पर जटसिख किया जाना उचित है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड में रोही मौजा चक 10 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 110/65 की कुल 3.5420 हैक्ट भूमि प्रार्थीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण की जाति जाट दर्ज है जबकि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पर्चा खतौनी में प्रार्थीगण के पिता की जाति जटसिख है एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत विभाजन द्वारा तहसीलदार में भी प्रार्थीगण की जाति जटसिसख है तथा तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थीगण की जाति जाट के स्थान पर जटसिख किया जाना उचित है। अत प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो एवं तहसीलदार, भू0अभि0, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 10 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 110/65 की कुल 3.5420 हैक्ट भूमि में से प्रार्थीगण क्रमश गुरमीतसिंह व रेशमसिंह पि0 सरदुलसिंह की जाति जाट के स्थान पर जटसिख का संशोधन किया जाता है। अगर उक्त संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार नोहर को लिखा जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हों। Rahul उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ़)	